–: बैठक कार्यवृत्त :–

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में दिनांक 23.07.2026 को ''जल जीवन मिशन'' कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित Single Village Water Supply Schemes (SVS) एवं Multi Village Water Supply Schemes (MVS) की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत।
2. समस्त सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत।
3. समस्त जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत।
4. उप–परियोजना प्रबन्धक, मै0 टी0पी0आई0 एजेन्सी, पीलीभीत।
5. परियोजना प्रबन्धक, मै0 पी0एन0सी0–एस0पी0एम0एल0 जे0वी0, पीलीभीत।
6. परियोजना प्रबन्धक, मै0 विश्वराज इंवायरमेंट प्रा0लि0, पीलीभीत।

बैठक के प्रारम्भ में अधिशासी अभियंता द्वारा जनपद में संचालित समस्त ग्रामीण पेयजल योजनाओं की अद्यतन प्रगति पुस्तिका प्रस्तुत करते हुए योजनावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, नियमित जलापूर्ति, ओवरहेड टैंक निर्माण, सड़क पुनर्स्थापन, हर घर जल प्रमाणन, जल अर्पण, जीरो पॉवर्टी अभियान, जल सारथी ऐप डाउनलोड तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रस्तुत प्रगति पुस्तिका के बिंदुवार अवलोकन उपरांत अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नानुसार समीक्षा एवं निर्देश प्रदान किए गए।

1. सिंगल विलेज एवं मल्टी विलेज योजनाओं की समीक्षा

अधोहस्ताक्षरी द्वारा सर्वप्रथम जनपद में संचालित Single Village Water Supply Schemes एवं Multi Village Water Supply Schemes की योजनावार प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं समय–सीमा के अनुरूप समस्त अवशेष कार्यों को मार्च–2027 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराया जाए तथा किसी भी योजना में अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा। सभी कार्यदायी संस्थाएँ पर्याप्त मैनपावर, मशीनरी एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए मिशन मोड में कार्य करें। प्रत्येक योजना की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए प्रगति में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जाए तथा समय–समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

2. ओवरहेड टैंक निर्माण कार्यों की समीक्षा

बैठक में ओवरहेड टैंक निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ योजनाओं में ओवरहेड टैंक निर्माण की प्रगति अपेक्षित स्तर की नहीं है। इस पर फर्म– मै0 पी0एन0सी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि समस्त निर्माणाधीन ओवरहेड टैंकों पर अतिरिक्त संसाधन लगाकर कार्यों में तीव्र गति लाई जाए तथा निर्धारित समय–सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराया जाए।

इसी प्रकार फर्म– मै0 विश्वराज एनवायरमेंट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि समस्त ओवरहेड टैंक निर्माण कार्य स्वीकृत ड्राइंग, डिज़ाइन एवं तकनीकी मानकों के अनुरूप पूर्ण कराए जाएँ। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए तथा कार्य पूर्ण होने से पूर्व सभी आवश्यक परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

3. नियमित जलापूर्ति की समीक्षा

अधोहस्ताक्षरी द्वारा योजनाओं में संचालित नियमित जलापूर्ति की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि सभी संचालित योजनाओं में निर्धारित रोस्टर के अनुसार क्लोरीनेशन उपरांत नियमित एवं निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। किसी भी स्थिति में बिना क्लोरीनेशन के जलापूर्ति न की जाए। प्रत्येक योजना के ओवरहेड टैंक परिसर एवं पंचायत भवन पर जलापूर्ति रोस्टर की वॉल पेंटिंग अनिवार्य रूप से कराई जाए, जिससे ग्रामीणों को जलापूर्ति दिवस एवं समय की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो सकें। साथ ही जलापूर्ति से संबंधित प्राप्त होने वाली शिकायतों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

4. रोड रेस्टोरेशन कार्यों की समीक्षा

रोड रेस्टोरेशन कार्यों की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने के उपरांत समस्त सड़क पुनर्स्थापन कार्य निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किए जाएँ। जिन स्थानों पर सड़क बैठ गई है अथवा धँस गई है, वहाँ तत्काल मरम्मत कराकर थर्ड पार्टी एजेंसी से गुणवत्ता परीक्षण उपरांत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। समस्त क्षतिग्रस्त मार्गों को प्रत्येक दशा में मोटरेबल बनाया जाए तथा किसी भी प्रकार की नकारात्मक शिकायत प्राप्त न होने पाए। सड़क पुनर्स्थापन कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप ही पूर्ण किए जाएँ।

5. हर घर जल प्रमाणन एवं जल अर्पण कार्यक्रम की समीक्षा

अधोहस्ताक्षरी द्वारा हर घर जल प्रमाणन एवं जल अर्पण कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि प्रत्येक योजना में हर घर जल प्रमाणन एवं जल अर्पण की समस्त कार्यवाहियाँ शासन द्वारा निर्धारित Standard Operating Procedure (SOP) के अनुरूप ही संपादित की जाएँ। उन्होंने दोनों कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि जल अर्पण कार्यक्रमों का आयोजन केवल औपचारिकता तक सीमित न रखते हुए जनसहभागिता के साथ व्यापक स्तर पर कराया जाए, जिससे ग्रामीणों में योजना के प्रति विश्वास एवं सहभागिता विकसित हो सके।

साथ ही प्रत्येक माह न्यूनतम एक जल अर्पण कार्यक्रम माननीय सांसद, माननीय विधायक अथवा अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित किया जाए। कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को जल संरक्षण, सुरक्षित पेयजल, जल गुणवत्ता, नियमित जलापूर्ति एवं जल जीवन मिशन की उपलब्धियों के संबंध में जागरूक किया जाए तथा व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाए।

6. जीरो पॉवर्टी अभियान एवं गृह संयोजन (FHTC) की समीक्षा

बैठक में Zero Poverty Campaign के अंतर्गत गृह संयोजन (FHTC) की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि अवशेष गृह संयोजन कार्यों को आगामी 15 दिवस के भीतर विशेष अभियान चलाकर प्रत्येक दशा में पूर्ण कराया जाए। इस कार्य हेतु प्रत्येक कार्यदायी संस्था दैनिक कार्ययोजना (Work Plan) तैयार करेगी तथा ग्रामवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करेगी।

साथ ही गृह संयोजन उपलब्ध कराना केवल लक्ष्य पूर्ति का विषय नहीं है, बल्कि प्रत्येक पात्र परिवार तक सुरक्षित पेयजल पहुँचाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिशासी अभियंता द्वारा नियमित समीक्षा करते हुए दैनिक प्रगति रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जाएगी।

7. पाइपलाइन कार्यों में स्थानीय बाधाओं एवं जनसहयोग की समीक्षा

बैठक के दौरान फर्म– मै0 पी0एन0सी0 एवं मै0 विश्वराज एनवायरमेंट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजरों द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों एवं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पाइपलाइन बिछाने में सहयोग नहीं दिया जा रहा है तथा अनेक उपभोक्ता गृह संयोजन लेने में रुचि नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण कार्यों की प्रगति प्रभावित हो रही है।

इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे समस्त ग्रामों की सूची तत्काल तैयार की जाए तथा प्रत्येक बुधवार को आयोजित ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक में संबंधित खंड विकास अधिकारी के माध्यम से इन समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित कराया जाए। दोनों कार्यदायी संस्थाओं के ब्लॉक इंचार्ज, संबंधित जूनियर इंजीनियर के साथ अनिवार्य रूप से उक्त बैठकों में उपस्थित रहेंगे तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत की समस्या का मौके पर समाधान सुनिश्चित करेंगे।

इसके अतिरिक्त निर्देशित किया गया कि गृह संयोजन के लंबित कार्यों को पूर्ण कराने हेतु व्यापक जन–जागरूकता अभियान, ग्राम स्तरीय बैठकों एवं विशेष शिविरों का आयोजन किया जाए, जिससे अधिकाधिक परिवार योजना से जुड़ सकें तथा 100 प्रतिशत "हर घर नल से जल" का लक्ष्य शीघ्र प्राप्त किया जा सके।

8. जल सारथी ऐप डाउनलोड अभियान की समीक्षा

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल सारथी ऐप डाउनलोड की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि प्रत्येक ग्राम हेतु पृथक कार्ययोजना तैयार कर 15 अगस्त, 2026 से पूर्व अधिकतम संख्या में ऐप डाउनलोड सुनिश्चित किया जाए।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि इस अभियान में जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान, सचिव, लेखपाल, स्वयं सहायता समूह एवं कार्यदायी संस्थाएँ समन्वित रूप से कार्य करें। प्रत्येक ग्राम में ऐप डाउनलोड हेतु विशेष अभियान चलाया जाए तथा इसकी नियमित समीक्षा अधिशासी अभियंता द्वारा की जाए।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्थाएँ, थर्ड पार्टी एजेंसी एवं समस्त संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें। प्रत्येक कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप एवं निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण कराया जाए। किसी भी प्रकार की तकनीकी, प्रशासनिक अथवा स्थानीय समस्या उत्पन्न होने पर उसका तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए।

साथ ही बैठक में दिए गए समस्त निर्देशों के अनुपालन की बिंदुवार Action Taken Report अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत के माध्यम से नियमित रूप से अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत की जाएगी। आगामी समीक्षा बैठक में प्रत्येक बिंदु की पृथक समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

(सतीश प्रसाद मिश्र)
मुख्य विकास अधिकारी,
पीलीभीत।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत।

पत्रांक : 2939 / M-07 / 55 दिनांक: 29/07/2026

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, पीलीभीत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), बरेली।
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत।
4. समस्त सहायक अभियंता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत।
5. समस्त जूनियर इंजीनियर, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत।
6. जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, पीलीभीत।
7. उप–परियोजना प्रबन्धक, मै0 बी0एल0जी0 कान्सट्रक्शन सर्बिसेज (टी0पी0आई0 एजेन्सी), पीलीभीत।
8. उप–परियोजना प्रबन्धक, मै0 बी0एल0जी0 कान्सट्रक्शन सर्बिसेज (टी0पी0आई0 एजेन्सी– O&M), पीलीभीत।
9. परियोजना प्रबन्धक, मै0 पी0एन0सी0– एस0पी0एम0एल0 जे0वी0, पीलीभीत।
10. परियोजना प्रबन्धक, मै0 विश्वराज इनवायरमेन्ट, पीलीभीत।
11. समस्त जिला समन्वयक, आई0एस0ए0, पीलीभीत।

मुख्य विकास अधिकारी,
पीलीभीत।